पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-161
दिनांक-26.01.2026

जोन-पूर्वी/ थाना चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा घर मे चोरी करने वाले 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से चोरी के कीमती जेवरात (पीली व सफेद धातु) व 2,65,350 रूपए नगद बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.01.26 को वादी मुकदमा संदीप यादव पुत्र रामबली यादव निवासी-परमेश्वर नगर गणेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट लखनऊ द्वारा वादी के मकान का ताला तोड़कर घर से नगदी व जेवरात चोरी हो जाने के संबन्ध में मु0अ0स0 049/26 धारा-305(ए) बी0एन0एस0 चिनहट लखनऊ बनाम-अज्ञात पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 अभिषेक तिवारी द्वारा की जा रही थी। उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश/निर्देश के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा घटना होने के 04 घण्टे के अन्दर घटना में संलिप्त/प्रकाश में आये बाल आपचारी को बी0डी0एस0 भट्ठा रोड पर श्री जी इंजीनियरिंग गेट के पास से पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया जिसके पास से चोरी हुआ सामान 01 अदद हार पीली धातु, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद चैन पीली धातु, 01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु, 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु, 02 अदद हाथ की अंगूठी पीली धातु, 01 अदद सिक्का सफेद धातु, 01 एक अदद लेडीज घड़ी पीली धातु कुल कीमत लगभग 10 लाख रू0, व कुल नगद 2,65,350 रूपए बरामद किया गया। । बाल आपचारी को संरक्षण में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण:-

01.मु0अ0स0 49/26 धारा-305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0थाना चिनहट जनपद लखनऊ

03-बरामदगी-

➢ 01 अदद हार पीली धातु ➢ 01 अदद मंगलसूत्र ➢ 01 अदद चैन पीली धातु ➢ 01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु ➢ 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु	➢ 02 अदद हाथ की अंगूठी पीली धातु ➢ 01 अदद सिक्का सफेद धातु ➢ 01 एक अदद लेडीज घड़ी पीली धातु की ➢ कुल 2,65,350 रूपए बरामद

04-बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लेने वाली टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना चिनहट लखनऊ
02. उ0नि0 कपिल कुमार थाना चिनहट लखनऊ
03. उ0नि0 कुंवर अभिषेक सिंह थाना चिनहट लखनऊ
04. का0 अर्जुन चौरसिया थाना चिनहट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-02
दिनांक-26.01.2026

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **एक नफर NBW को किया गया गिरफ्तार**
- **थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त मुन्ना मिश्रा उर्फ अनुज मिश्रा पुत्र सदानन्द मिश्रा निवासी- ग्राम मुबारकपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष जो काफी दिनो से मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अयोध्या प्रकरण) जिला लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारंट मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त मुन्ना मिश्रा उर्फ अनुज मिश्रा उपरोक्त के विरूद्ध वाद सं0-22894/18 मु0अ0सं0-639/17 धारा -395/397 भादवि थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। अभियुक्त मुन्ना मिश्रा उर्फ अनुज मिश्रा उपरोक्त को थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा दि0 26.01.26 को गेट नंबर 18 धनवन्तरी कैंटीन के0जी0एम0यू0 थाना क्षेत्र चौक,लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त मुन्ना मिश्रा उर्फ अनुज मिश्रा पुत्र सदानन्द मिश्रा निवासी- ग्राम मुबारकपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष के विरूद्ध वाद सं0-22894/18 मु0अ0सं0-639/17 धारा -395/397 भादवि थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ में पंजीकृत है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1) मुन्ना मिश्रा उर्फ अनुज मिश्रा पुत्र सदानन्द मिश्रा निवासी- ग्राम मुबारकपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-639/17 धारा -395/397 भादवि थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 शहंशाह खान थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 राजबरन यादव थाना महानगर लखनऊ
3. का0 मोहित सिंह थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 26.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और साइबर अपराध के प्रति महिलाओं को किया गया जागरूक।

थाना माल क्षेत्र में ग्राम गोपरामऊ में महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक, उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

थाना माल क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपरामऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत महिलाओं को साइबर सुरक्षा व डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने के महत्व को समझाया एवं महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- ➢ महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव, थाना माल, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ➢ थाना माल के अंतर्गत गांव गोपरामऊ ।

प्रतिभाग-

- महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव, थाना माल, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला पीआरजी सियावती, थाना माल, लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना माल के अंतर्गत गांव गोपरामऊ में महिलाओं /बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.01.2026 को गांव गोपरामऊ, थाना माल में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी कॉप एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

यह जागरूकता सत्र न केवल महिलाओं को मिशन शक्ति के उद्देश्यों के की जानकारी प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सशक्त भी बनाया। ऐसे प्रयास महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं।

इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सहभागिता through education को बढ़ावा देना था। पुलिस की यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुई है।

मिशन शक्ति कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

- **महिला अपराध:** महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय।
- **साइबर क्राइम:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और अन्य साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के तरीके।
- **यातायात नियम:** सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने का महत्व।

मुख्य संदेश: "डरें नहीं, शिकायत करें":

छात्राओं को एक मजबूत संदेश दिया गया कि **"डरने से अपराध कम नहीं होता है।"** जोर देकर कहा कि यदि कोई उन्हें परेशान कर रहा है या उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें।

तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर: छात्राओं को किसी भी मुसीबत की स्थिति में तुरंत मदद के लिए दो महत्वपूर्ण नंबर बताए गए:

- **112:** यह आपातकालीन सेवा नंबर है, जिस पर किसी भी तरह की समस्या के लिए कॉल किया जा सकता है।
- **1090 (महिला पावर लाइन):** इस नंबर पर कॉल करने पर **उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।** यह महिलाओं के लिए एक विशेष और सुरक्षित हेल्पलाइन है।

पुलिस की मौजूदगी का आश्वासन:

यह बताया गया कि शहर की हर सड़क पर पुलिस मौजूद है और महिलाओं की सहायता के लिए विशेष **पिंक बूथ** भी बनाए गए हैं। समस्या का त्वरित समाधान केवल समय रहते सूचना देने पर ही संभव है।

सारांश:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं छात्राओं को अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें यह आत्मविश्वास देना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्हें डरने के बजाय, किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत 1090 या 112 पर कॉल करके मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सहभागिता through education को बढ़ावा देना था। पुलिस की यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुई है।

मिशन शक्ति कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

- **महिला अपराध:** महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय।
- **साइबर क्राइम:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और अन्य साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के तरीके।
- **यातायात नियम:** सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने का महत्व।

मुख्य संदेश: "डरें नहीं, शिकायत करें":

छात्राओं को एक मजबूत संदेश दिया गया कि **"डरने से अपराध कम नहीं होता है।"** जोर देकर कहा कि यदि कोई उन्हें परेशान कर रहा है या उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें।

तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर: छात्राओं को किसी भी मुसीबत की स्थिति में तुरंत मदद के लिए दो महत्वपूर्ण नंबर बताए गए:

- **112:** यह आपातकालीन सेवा नंबर है, जिस पर किसी भी तरह की समस्या के लिए कॉल किया जा सकता है।
- **1090 (महिला पावर लाइन):** इस नंबर पर कॉल करने पर **उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।** यह महिलाओं के लिए एक विशेष और सुरक्षित हेल्पलाइन है।

पुलिस की मौजूदगी का आश्वासन:

यह बताया गया कि शहर की हर सड़क पर पुलिस मौजूद है और महिलाओं की सहायता के लिए विशेष **पिंक बूथ** भी बनाए गए हैं। समस्या का त्वरित समाधान केवल समय रहते सूचना देने पर ही संभव है।

सारांश:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं छात्राओं को अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें यह आत्मविश्वास देना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्हें डरने के बजाय, किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत 1090 या 112 पर कॉल करके मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-158
दिनांक 26/01/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25/01/2026 की बीती रात्रि लगभग 01:00 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत **बिन्दौआ के जंगल** में बड़े पैमाने पर **अवैध खनन** किए जाने की पुख्ता सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही **प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी** द्वारा बिना किसी विलंब के पुलिस टीम का गठन कर तत्काल मौके पर भेजा गया तथा अवैध खनन को हर हाल में रोकने एवं कठोर विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दिए जाने पर अवैध खनन में संलिप्त व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त **एक जेसीबी मशीन एवं दो डम्फर** को बरामद कर तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।

सीज किए गए वाहनों का विवरण निम्नलिखित है—

- UP32WN5233 (डम्फर)
- UP32MN4817 (डम्फर)
- UP32NN7088 (जेसीबी)

जनपद में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-159
दिनांक 26/01/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज ।

- **नाबालिग को बहला फुसला कर भाग ले जाने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार।**
- **नाबालिग बालिका को किया गया सकुशल बरामद**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.01.2026 को थाना मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालखेड़ा निवासी शिकायतकर्ता द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को दिनांक 18.01.2026 को ग्राम मदनखेड़ा, थाना निगोहा निवासी अर्जुन पुत्र हरिराम द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद बालिका के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-028/2026 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत कर तत्काल अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, इसी क्रम में दिनांक 25.01.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि पीड़िता व अभियुक्त ग्राम मदनखेड़ा, थाना निगोहा क्षेत्र में मौजूद हैं। **सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा ग्राम मदनखेड़ा पहुंचकर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया।**

बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस टीम की सतर्कता एवं तत्परता से **अभियुक्त अर्जुन पुत्र हरिराम को समय करीब 19:20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।** अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना मोहनलालगंज पुलिस की त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्रवाई से नाबालिग बालिका की सकुशल बरामदगी संभव हो सकी, जिसकी क्षेत्र में सराहना की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-अर्जुन पुत्र हरिराम निवासी मदनखेड़ा थाना निगोंहा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष, व्यवसाय—खेती।

03-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 28/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-गिरफ्तारी टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री अनुज गुप्ता
3. म0का0 सपना

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-160
दिनांक- 26.01.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-पारा

- **थाना पारा पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता की हत्या का सनसनीखेज अनावरण; मुख्य अभियुक्त सहित 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **प्रेम प्रसंग व आपसी रंजिश में योजनाबद्ध तरीके से गला दबाकर की गई थी हत्या, पहचान छिपाने हेतु शव को सरोजनी नगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था।**
- **घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी गाड़ी (सफेद रंग) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.01.2026 को वादिनी श्रीमती पिंकी ने थाना पारा पर सूचना दी कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त अंशू गौतम उर्फ लक्की दिनांक 13.01.2026 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 38/2026 धारा 87/137(2) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान आज दिनांक 26.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुख्य अभियुक्त **अंशू गौतम उर्फ लक्की** को गिरफ्तार किया गया। जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह मृतका से काफी दिनो से प्रेम करता था दोनों एक दूसरे से बात चीत करते थे बाद में धीरे धीरे उसके मित्र आशिक यादव से भी बात करने लगी, लेकिन मृतका को यह नही पता था कि मै और आशिक दोनों मित्र है, उसके इस हरकत को हम लोगो ने अपना अपमान समझा और रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

योजना के अनुसार, अंशू गौतम व आशिक यादव **टाटा सफारी से अपने** मित्र रिशू यादव, वैभव सिंह राजपूत व दीपक के साथ मिलकर मृतका को फोन से बुलाकर गाड़ी में बैठाकर गाड़ी के अन्दर ही मृतका की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गयी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से अभियुक्तों ने शव को थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के पिपरसण्ड रेलवे ट्रैक पर इस तरह लिटा दिया कि वह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो।

ट्रेन की चपेट में आने से भी मृतका का सिर धड़ से अलग हो गया था। अभियुक्तों ने पहचान छिपाने के लिए अपने और मृतका के मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे। पुलिस द्वारा ने घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी गाड़ी को बरामद करते हुए घटना कारित करने वाले चारों अभियुक्तों 1.अंशू गौतम उर्फ लक्की पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम पठान खेड़ा मजरा दसदोई थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, 2.आशिक यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी ग्राम कुल्हड़कट्टा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष 3.रिशू यादव पुत्र सुनील यादव निवासी ग्राम कुल्हड़कट्टा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष 4.वैभव सिंह राजपूत पुत्र मोहनलाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम फतेहगंज, सेन्ट्रल बैंक के पास थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन व बयान आदि से धारा 87/137(2) बीएनएस को अन्तर्गत धारा-140(1)/103(1)/238/3(5) बीएनएस मे परिवर्तित कर अग्रिम विवेचना प्रचलित है।

02-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 38/2026 धारा 140(1)/103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 थाना पारा, लखनऊ।

03-बरामदगी का विवरण –

➢ घटना में प्रयुक्त वाहन: टाटा सफारी (सफेद रंग) नं0 UP32 DV 9191

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंशू गौतम उर्फ लक्की पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम पठान खेड़ा मजरा दसदोई थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष,
2. आशिक यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी ग्राम कुल्हड़कट्टा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
3. रिशू यादव पुत्र सुनील यादव निवासी ग्राम कुल्हड़कट्टा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
4. वैभव सिंह राजपूत पुत्र मोहनलाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम फतेहगंज, सेन्ट्रल बैंक के पास थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

05-अभियुक्त वैभव सिंह राजपूत का आपराधिक इतिहास -

01-मु0अ0सं0 342/24 धारा-74/352/115(2)/351(2)/75/126(2) बी0एन0एस0, 7/8 पाक्सो एक्ट, 3(1) द, ध व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना पारा लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मुन्ना लाल चौकी प्रभारी हंसखेड़ा थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री अभय कुमार चौधरी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री हर्ष यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री मोहित भाटी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन कमि0 लखनऊ
7. हे0का0 वीर सिंह सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन कमि0 लखनऊ
8. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
9. का0 राजकुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।